राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

किशनलाल बनाम रामप्यारी

तारीख हुक्म	162/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/02/2026 को पेश हो।	
25/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 बाबत घोषणा इस आशय का पेश किया कि ग्राम खतेहपुरा पटवार क्षेत्र बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित खसरा नं. 2 रकबा 100 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवाईचक लगानी में से खसरा नंबर 2 मि. रकबा 4 बीघा भूमि वादिया को दिनांक 25.06.1992 को आवंटन की गई जिस पर वादिया काबिज काश्त चली आ रही हैं। उक्त वर्णित आराजीयात को आवंटन हेतु वादिया द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवंटन कमेटी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जिसको स्वीकार किया जाकर आवंटन कमेटी द्वारा कैम्प बूज में दिनांक 25.06.1992 को रामप्यारी बेवा रामेश्वर प्रसाद को खसरा नं0 2 मि. में 4 बीघा भूमि आवंटन किये जाने के आदेश जारी कर वादिया को 4 बीघा भूमि आवंटन की गई। वादिया द्वारा आवंटन हेतु किये गये आवेदन की पटवारी जांच रिपोर्ट में पटवारी द्वारा वादिया रामप्यारी बेवा रामसहाय जाति ब्राह्मण उम्र 35 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी खतेहपुरा पंचायत बूज तहसील जमवारामगढ अंकित किया। उक्त अंकित रिपोर्ट में वादिया रामप्यारी बेवा रामेश्वर की जगह पटवारी की लापरवाही से जांच रिपोर्ट में रामप्यारी बेवा रामसहाय गलत दर्ज कर दिया गया जबकि वादिया के पति का नाम रामेश्वर हैं एवं वादिया द्वारा आवंटन हेतु भरा गया आवेदन भी रामप्यारी बेवा स्व. रामेश्वर प्रसाद के नाम से भरा गया एवं बूज कैम्प दिनांक 25. 06.1992 को आवंटन पत्र द्वारा रामप्यारी बेवा रामेश्वर प्रसाद के नाम से खसरा नं. 2 मि. में 4 बीघा भूमि आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान किये गये जिसकी वादिया बरूहें खातेदार हैं तथा पटवारी हल्का द्वारा प्राथीया द्वारा आवंटन आवेदन फॉर्म के पीछे पटवारी जांच रिपोर्ट में 3 दर्ज रामप्यारी बेवा रामसहाय के आधार पर नामान्तरण दर्ज कर दिया गया जो वादिया के अधिकारों के विरूद्ध कलेदम बेअसर हैं तथा वादिया के नाम से किये गये के आवंटन आदेश अनुसार रामप्यारी बेवा रामेश्वर के नाम से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। जिसकी वादिया अधिकारिणी हैं। पटवारी हल्का ने आवेदन फॉर्म व आवेदन आदेश के आधार	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	किशनलाल बनाम रामप्यारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
162/2017		

पर नामान्तरण ना भरकर पटवारी जांच रिपोर्ट में रामप्यारी बेवा रामसहाय गलत दर्ज रिपोर्ट के आधार पर गलत नामान्तरण भरकर तसदीक करवाया जो पटवार रिपोर्ट में रामसहाय नाम दर्ज गलत दुर्ज हो जाने के कारण नामान्तरण में गलती हुई जिसे रामप्यारी बेवा रामेश्वर के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जाना कानूनन् आवश्यक हैं। आवेदन फॉर्म के पीछे पटवारी जांच रिपोर्ट में रामेश्वर की जगह गलत अंकन रामसहाय हो गया जिसे रामप्यारी बेवा रामेश्वर दुरूस्त माना जाकर राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार दर्ज किया जायें। वादग्रस्त आराजी में वादिया का नाम रामप्यारी बेवा रामेश्वर दर्ज कराने व गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने की वादिया अधिकारिणी हैं। वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड में वादिया के अशुद्ध इन्द्राज को शुद्धिकरण हेतु दिनांक 17.07.2014 को वादी संख्या 1 के अधीनस्थ पटवारी से निवेदन किया तो पटवारी ने वादिया को बताया कि कुछ लोग रामप्यारी बेवा रामसहाय को मृतक बताकर उसके वारिस बनकर नामान्तरण अपने हक में दर्ज करवाने के लिए आये थे। उक्त बात से वादिया भयभीत हो गई और दिनांक 21.07.2014 को तहसीलदार के समक्ष उक्त आराजीयात का नामान्तरण गलत अंकन के आधार पर नहीं खोलने हेतु प्रस्तुत किया तब तहसीलदार महोदय ने सही इन्द्राज करवाने हेतु श्रीमान् जी के समक्ष वाद प्रस्तुत करने की सलाह अनुसार उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वाद पत्र के अन्त में इस्तदुआ चाही गयी कि ग्राम खतेहपुरा पटवार हल्का चावण्डिया तहसील जमवारामगढ जिला. जयपुर में स्थित खसरा नं0 2 मिन रकबा 4 बीघा के राजस्व रिकार्ड में रामप्यारी बेवा रामसहाय की जगह रामप्यारी बेवा रामेश्वर का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें व वादिया रामप्यारी बेवा रामेश्वर को खसरा नं0 2 मिन रकबा 4 बीघा की खण्ड अमर्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 21/03/2017 पारित करते हुए वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जानेका निवेदन किया एवं एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	किशनलाल बनाम रामप्यारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	162/2017	

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के सन्दर्भित तथ्यों एवं साक्ष्यो का विस्तृत विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21/03/2017 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर